an>

Title: Observation regarding maintenance of decorum in the House.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं चाहती हूं कि आज आपसे थोड़ी बात करूं। कल सभा के समवेत होने के तत्काल बाद अनेक सदस्य अध्यक्ष के आसन के निकट आ गए और नारे लगाने लगे। कुछ सदस्यों के हाथों में छाते भी थे, जिन पर कुछ नारे लिखे हुए थे और जिन्हें वे सभा में प्रदर्शित कर रहे थे। इस आचरण का मैंने कल कड़ा विरोध भी किया था, उसके पहले भी कहा था कि इस प्रकार से आचरण करना अनुचित है। फिर भी इसको करीब 1200 बजे तक जारी रखा गया, इसके कारण मुझे सदन बीच में स्थगित भी करना पड़ा। सभा के पुन: समवेत होने पर भी कई माननीय सदस्यों ने अलग-अलग आचरण जारी रखा। शोर-शराबे में कई बार हम व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी करने लगे हैं, जो वास्तव में अपेक्षित एवं उचित भी नहीं है।

हम बार-बार माननीय सदस्यों को शालीनता और अनुशासन बनाए रखने का अनुरोध करते रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान शिष्टाचार के मानदण्डों की तरफ भी ले जाना चाहती हूं। मैं बहुत लम्बी बात नहीं करूंगी, लेकिन नियम 349 और नियम 352, ऐसे कई नियम हमने सभा के संचालन के लिए बनाए हैं। नियम 349 के अंतर्गत 11, 16, ऐसे उपबंधों पर भी मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा। हमने लिखित में भी सब के पास ये बातें पहुंचाई हैं कि सभा की कार्यवाही चल रही हो तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से वस्तु, कोई प्ले कार्ड या कुछ प्रदर्शित नहीं करना होता है। यह अच्छा नहीं माना जाता है।...(व्यवधान)

यह भी एक आचरण है जब अध्यक्ष बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं आपसे कोई अनुचित बात नहीं कर रही हूं, मैं कोई सजा की बात नहीं कर रही हूं। नियम आप लोगों के बनाए हुए हैं, सालों-साल से बनाए हुए हैं। मेरा इतना ही कहना है, मैं कल से एक बात सोच रही हूं कि यह सदन आपका अपना है, हम सभी का है। नियम हम ही ने बनाए हैं, कुछ तो उसके मायने हम रखें। एक और बात मुझे लगी, सदन देखने के लिए जो लोग आते हैं। इसमें छोटे बच्चे भी आते हैं, बाकी लोग जो आते हैं, वे कहीं न कहीं हमारे मतदाता भी हो सकते हैं। हम भी लाखों लोगों को रीप्रजेंट करते हैं। उनको आने के लिए हमने कई कड़े नियम बनाए हैं, यहां तक कि कई बार उनके गोगल्स हो या वॉलैट हों, कई सारी चीजें हम बाहर रखते है, क्योंकि वे चीजें अंदर नहीं ले जानी है। यहां बैठने के हमने नियम बनाए हैं कि शिष्टाचार से कैसे रहें। उनसे हम अपेक्षा करते हैं और कड़ाई से पेश आते हैं। यह सब हमारी सुरक्षा के लिए है। मुझे लगता है कि सदन की सुरक्षा के लिए नियम हमने बनाये हैं और कड़ाई से पालन बाकी सबके लिए हम करते हैं। सजा के प्रावधान तो इसमें भी हैं, लेकिन एक बात यह भी है कि मारने वाली, सजा करने वाली, दुत्कारने वाली माँ को कोई पसन्द नहीं करता है, हम ऐसा कहते भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ही कहानी कहते हैं कि कोई बच्चा ज्यादा सजा न होने पर माँ का कान भी काटता है कि समय पर आपने क्यों नहीं बताया, तो मैं ऐसा नहीं करता। यह कहानी भी हम सुनते हैं। ये दोनों ही बातें हैं।

प्रजातंत्र में बात उठाना आपका अधिकार है। पूर्व में भी किसी ने कुछ किया हो, मैं उसको भी यह नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने अच्छा किया। सदन की शुरूआत से मैं बार-बार आपसे यह कह रही हूँ कि कम से कम प्ले कार्ड दिखाना या आजकल कई बार ऐसी भाषा का उपयोग भी हम नारे लगाते समय करते हैं, कृपया मेरा एक बार आप सबसे निवेदन है कि बार-बार कुछ कड़े नियमों का पालन मुझे नहीं करना पड़े। आप भी सब जानते हैं, सब समझदार लोग हैं। हम जनप्रतिनिधि हैं। हम ही आदर्श निर्माण करते हैं। सदन चलाने में मुझे कभी कोई कठोर कार्य नहीं करना पड़े, नियमों का पालन हो, इतना मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने कहा कि पहले भी गलती हुई होगी।

â€¦(व्यवधान)